14/2/24

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी का बहस का पेश किया जाकर निर्णीत किया जाता है। अलग निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर पत्रावली के शामिल किया गया। पत्रावली पृथक दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

प्रतिवादी संख्या दो स्वयं उप0
एकपक्षीय कार्यवाही — प्रतिवादी सं. 1

वाद पत्र अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अ0धा0 88 एवम् 188 रा0 का0 अधि0 1955

निर्णय

दिनांक 14/2/24

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण लल्लू व अन्य जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोडा ठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा बावत् उद्घघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम टोडा ठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित खसरा नम्बर 262/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा भूमि के संबंध में इस आशय का पेश कि वादीगण ग्राम टोडा ठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा के स्थायी निवासी हैं तथा प्रतिवादी स01 नामक व्यक्ति अनेक वर्षो से ग्राम टोडा ठेकला तहसील लालसोट में नही देखा गया है न ही इस नाम का व्यक्ति होना सुना गया है। प्रतिवादी सं02 ग्राम टोडा ठेकला का ही निवासी है तथा आराजी खसरा नम्बर 262/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम टोडा ठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है उक्त आराजी भूमि के संबंध में विवाद होने के कारण ही उक्त भूमि को वाद पत्र में विवादित आराजी सम्बोधित किया जा रहा है।

वादीगण ने अभिवचन किये है कि विवादित आराजी भूमि पूर्व में सम्वत् 2019 के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 नामक व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज रही है तथा वादीगण के पिता भौरया के नाम भी बतौर उपकृषक के रूप में दर्ज रही है। परन्तु प्रतिवादी सं02 ने बडी चालाकी से प्रतिवादी स01 की कौम को राजस्व एजेन्सी से मिलिभगत कर कुम्हार के स्थान पर चमार करवा लिया। प्रतिवादी संख्या 01 की उक्त कार्यवाही अपने आप में आरंभतः अवैध तथा शून्य है। उक्त आराजी भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं01 नामक व्यक्ति का कोई अता पता नही रहा न ही उसे कभी ग्राम टोडा ठेकला में देखा गया जिसका अनुचित फायदा प्रतिवादी सं02 द्वारा कौम को बिना अधिकार क्षैत्र के ही राजस्व एंजेसी से

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

बदलवा लिया गया एवं उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली गई जो अनुचित अवैध कार्यवाही हैं जिसके आधार पर प्रतिवादी सं02 को किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार हांसिल नही हो सकते है।

वादीगण का कहना है कि विवादित आराजी भूमि में हिस्सा 1/2 की भूमि पर वादीगण का अपने पिता के समय से ही अनवरत स्थायी कब्जा चला आ रहा हैं जो आजतक बरकरार हैं तथा वादीगण अपने हिस्से 1/2 की भूमि पर अपनी आर्थिक लागत से सुधार कर अपने पिता के जीवनकाल से ही काश्त करते चले आ रहे हैं तथा अपना हिस्सा 1/2 की भूमि पर 70–80 वर्षो का अनवरत कब्जा आज तक बरकरार रखे हुये हैं। उक्त हिस्सा 1/2 की भूमि से प्रतिवादी सं01 व 2 किसी प्रकार का कोई संबध सरोकार वास्ता नही रहा है ना ही वर्तमान में है।

वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल के समय से चला आ रहा अनवरत लॉफूल कब्जा आज तक बखूबी प्रकार से चला आ रहा है जिसकी जानकारी प्रतिवादी सं02 को भली प्रकार से चली आ रही हैं जिसका इन्द्राजात विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में भी हैं तथा उक्त भूमि को वादीगण तथा प्रतिवादी सं02 द्वारा वादीगण के पिता के समय से मौके पर आधी आधी विभाजन कर रखी हैं तथा वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से ही साल दर काविज होकर काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है।

विवादित आराजी भूमि प्रतिवादी सं02 की खातेदारी में गलत प्रकार से दर्ज चली आ रही हैं तथा वर्तमान में प्रतिवादी सं02 अपने नाम के अंकन का गलत फायदा उठाकर वादीगण को अनुचित प्रकार से हैरान व परेशान करने लग गया हैं जिसका उसे किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार हांसिल नही हैं तथा दिनांक 03/03/2020 को प्रतिवादी सं02 द्वारा वादीगण को अपने हिस्से 1/2 की भूमि की आगामी फसल की साफ सफाई कर खेत तैयार करने से रोकने का असफल प्रयास किया एवं बेजा चेतावनी दी गई कि यह भूमि मेरे नाम है तुम्हे इसमे काश्त नहीं करने दूंगा। प्रतिवादी सं02 की इसी बेजा धमकी से वाद कारण उत्पन्न होकर वादीगण को अपने हक व हकूको की रक्षार्थ उक्त वाद पत्र सेंवामें पेश करना पड़ा है।

वादीगण ने निवेदन किया है कि विवादित अधिघोषणा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर डिक्री इस आशय की फरमायी जावें कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 262/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा एंव खसरा 262/2 रकबा 1 बीघा 6

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम टोड़ाठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं01 की जाति कुम्हार को बदलकर उसके स्थान पर चमार का किया गया अंकन अविधिक एंव प्रभावशून्य हैं, को प्रभाव शुन्य घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 के वादीगण खातेदार व काबिज काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी सं02 का हिस्सा 1/2 ही हैं। तदानुसार पालना करने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेशित फरमाया जावें। विवादित भूमि का खातेदार प्रतिवादी सं01 नामक व्यक्ति हैं जिसकी कौम प्रतिवादी सं02 द्वारा अविधिक प्रकार से राजस्व एजेन्सी से मिलिभगत करके गलत दर्ज करवाई हैं तथा उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 की भूमि के खातेदार व काबिज काश्तकार वादीगण हैं तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं02 का है। साथ वादीगण प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पांबद करवाने के भी अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त बुवाई जुताई आदि कृषि कार्य करने व कराने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न करावे तथा उक्त हिस्से में स्थित वादीगण की फसल प्राकृतिक पैदावार,वृक्षो तथा कृषि संसाधनो को किसी प्रकार की क्षति व नुकसान कारित नहीं करे न करावे स्वंय अनपे सेवको साथियो परिजनो वारीसनो सहित सदैव पांबद रहे तथा प्रतिवादी सं03 उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिती बनाये रखे स्वयं व अपने अधीनस्थ कर्मचारियो सहित सदैव पांबद रहे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं हाजिर आकर इकबाली जवाब पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 262/1 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम टोडा ठेकला तहसील लालसोट से मन प्रतिवादी का कोई संबंध सरोकार नहीं है। ना ही मन प्रतिवादी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा रहा है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में वादीगण का वादपत्र डिक्री कर दिया जावे तो मन प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है । इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण के वादपत्र के कथनो के प्रति सहमति जताते हुए जवाब पेश किया है जो पत्रावली में शामिल किया गया। प्रतिवादी के वादपत्र के अभिवचनों का खण्डन जवाब में नहीं करने के कारण तनकीयात् कायम नहीं की गई तथा पत्रावली में साक्ष्य लिये गये। वादी की ओर से गवाह भरतलाल पुत्र भौरीलाल जाति गुर्जर निवासी टोडा ठेकला का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पदर्श संख्या

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

लालसोट जिला दौसा (राज०

01– जमाबंदी संम्वत् 2073–2076 ग्राम टोडा ठेकला, पदर्श 02 खतौनी एकीकरण सम्वत् 2019, पदर्श 03 खतौनी एकीकरण, पदर्श 04 जमाबंदी, पदर्श 05 एकीकरण की जमाबंदी सम्वत् 2019 जयपुर, पदर्श 06 नक्शा ट्रेस, पदर्श 07 जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027, पदर्श 08 जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031, पदर्श 09 जमाबंदी सम्वत 2032–35, पदर्श 10 जमाबंदी सम्वत् 2045–2048, पदर्श 11 जमाबंदी 2053–2056, पदर्श 12 जमाबंदी संवत् 2057–2060, पदर्श 13 जमाबंदी संवत् 2021, पदर्श 14 जमाबंदी संवत् 2022–2023, पदर्श 15 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024, पदर्श 16 खसरा गिरदावरी संवत् 2025, पदर्श 17 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2023, पदर्श 18 खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 28, पदर्श 20,21 खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से 35, पदर्श 24 तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट, पदर्श 25 मौका रिपोर्ट की प्रति पटवारी हल्का टोडा ठेकला आदि दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाकर अपने वाद को डिक्री करवाने का निवेदन किया। स्वतंत्र गवाहों के रूप में धर्मपाल पुत्र मूलचन्द उम्र 75 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम टोडा ठेकला तहसील तथा प्रभूदयाल पुत्र भोमाराम जाति बैरवा उम्र 66 वर्ष निवासी टोडा ठेकला तहसील लालसोट के शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। गवाहों से जिरह नही करने के कारण विखण्डन परिक्षण शुन्य पाया गया। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस नियत की गई।

पत्रावली पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए अपने वादी पत्र को डिक्री किये जाने के तर्क पेश किये। अधिवक्ता वादी का अपने वाद पत्र के समर्थन में कहना है कि आराजी खसरा नम्बर 262/1 बर्जुगान के समय से ही वादीगण के कब्जे में रही है तथा वादीगण के पर्वूज भौर्या पि0मु0 हंसा उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर बतौर उपकृषक काश्त करते चले आ रहे थे जिसके इन्द्रजात् राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों एवम् परिवर्तनशील खसरा गिरदावरियों में चले आ रहे है। पूर्व में आराजी वादग्रस्त कजोडया पुत्र जयदेवा जाति कुम्हार के नाम थी जिसे एकीकरण के दौरान एकीकरण की जमाबंदी में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के काटकर जाति बैरवा कर दिया गया। उक्त क्षेत्राधिकार विहीन परिवर्तन प्रारम्भतः ही प्रभाव शुन्य है। इस प्रकार सम्वत् 2019 के पूर्व से ही उक्त कृषि भूमि कजोडया पुत्र जयदेवा जाति कुम्हार के नाम चली आ रही है जिसके हिस्सा 1/2 के उपकृषक वादीगण के पूर्वज भौरया पि0मु0 हंसा रहे है। तथा उनके बाद अनवरत रूप से उक्त भूमि वादीगण कब्जे में चले आ रहे है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार वादग्रस्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

खसरा नम्बर 262/1 के हिस्सा 1/2 के वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार हो गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उपकृषक को धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः विधि अनुसार वादीगण के वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में उद्घोषित होकर इन्द्रजात होना न्यायार्थ आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद डिक्री कर वादग्रस्त आराजी के वादीगण को खातेदार उद्घोषित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन परिक्षण किया। जमाबंदी नवीन सम्वत् 2073–2076 जो कि प्रदर्श 01 है, के अनुसार खसरा नम्बर 262/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम टोडा ठेकला का खातेदार कजोडया पुत्र जयदेवा है। प्रदर्श संख्या 02 खतौनी एकीकरण से वकील वादी के इस कथन की पुष्टि होती है कि सम्वत् 2019 में आराजी खसरा नम्बर 262/1 के हिस्सा 1/2 के भौरा पि0मु0 हंसा बतौर उपकृषक रहे है तथा खातेदार कजोडया पुत्र जयदेवा जाति कुम्हार अंकित किया है जिसे फिर चमार अंकन किया है, जो कि प्रदर्श संख्या 04 जमाबंदी , प्रदर्श संख्या 05 खतौनी बन्दोबस्त एकीकरण, पदर्श संख्या 07 खतौनी सम्वत् 2024 से 2027, प्रदर्श संख्या 08 जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031, प्रदर्श संख्या 09 जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035, एवम् जमाबंदी से बखूबी स्पष्ट हो रहा है जिसमें उक्त खसरा नम्बर 262/1 व 262/2 के खातेदार के कॉलम में कजोडया पुत्र जयदेवा कौम कुम्हार सा0देह दर्ज है। यहॉ तक विद्वान अधिवक्ता यह साबित करने में सफल रहे है कि खसरा नम्बर 262/1, 262/2 के खातेदार कजोडया पुत्र जयदेवा कौम कुम्हार सा0देह दर्ज रहे है तथा उपकृषक की हैसियत से वादी के पूर्वज भौरा पि0मु0 हंसा खसरा नम्बर 262/1 के हिस्सा 1/2 पर काबिज रहे है, जो आगे भी खसरा गिरदावरियो एवम् जमाबंदियों में दर्ज होते आ रहे है। प्रदर्श संख्या 24 में आराजी वादग्रस्त पर वादीगण का ही कब्जा साबित हो रहा है। हमारी सुविचारित राय में एक उपकृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जा सकते है। परिणामस्वरूप इस प्रकरण में भी खसरा नम्बर 262/1 के हिस्सा 1/2 के वादीगण के पूर्वज भौरा अनवरत रूप से बतौर उपकृषक दर्ज रहे है जो धारा 19 के अनुसार खातेदार हो गये है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार करना समीचीन प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

—: आदेश :—

उक्त विवेचन एवम् तथ्यों के आधार पर वादी अपने वादपत्र को साबित करने में सफल रहे है। वादीगण के पूर्वज भौरा पि0मु0 हंसा का वादग्रस्त आराजी पर बतौर उपकृषक दर्ज होने तथा अनवरत रूप से इन्द्राज होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान अनुसार वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 262/1 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा के हिस्सा 1/2 का खातेदार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर उभयपक्षों की मौजूदगी में सरे इजलास आज दिनांक 14/2/24 को सुनाया गया।

नरेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला-दौसा (राज.)